

06/07/23

प्रायती पेश हुई। वकील डा. श्री उपा. विजयगण के नेहिस
 लामील सुदा डा. श्री के कायसुद डोई उपा. नही हुआ
 खतः इनके विरुद्ध एक तरफ मद्रिपाही कामत में लाई जाती
 है वकील डा. श्री ने वदल पुनी का विपिन किया। वकील
 डा. श्री की वदल पुनी गई वदल पर मनन किया गया
 प्रायती का अहमयन एवं अपसोकन किया गया जिससे
 उलीत होगा है। डा. श्री वकील का डा. श्री पर लीकार
 करने प्रोत्सव है। अतः नेखमबेपी निर्णय असग ले लिया
 जाकर शामिल कियत किया गया। प्रायती फेलस
 सुमार हीकर वाकित पपतर हो देख्य ले कर ही।

Shad

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर
राजस्व आवेदन सं. 318/2018 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट
टीकमाराम वगैरा बनाम मालाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी - श्री अक्हाद निवृत्ति सोमनाथ
प्रार्थी वकील - श्री सारंगराम मेघवाल

निर्णय

दिनांक - 06/07/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा संख्या 322 रकबा 30.00 बीघा किस्म बा0सो0 स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पड़ोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पड़ोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू.अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा संख्या 322 रकबा 30.00 बीघा किस्म बा0सो0 की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनों पक्षों के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनों पक्षों के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त में परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थायी बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरों की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावे एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।
निर्णय आज दिनांक 06/07/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(अक्हाद निवृत्ति सोमनाथ)

आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी 1 टीकमाराम पुत्र गिरधारीराम जाति भेघवाल, निवासी नेहरों का तला (मांजी का तला) तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर</p>	<p>बनाम</p>	<p>विप्रार्थीगण 1 मलार पुत्र रेशमा 2. सुखाराम पुत्र भाणजी जाति भील 3. इन्द्रादेवी पत्नि भाखराराम जाति विश्नोई 4. जमाल पुत्र हाजी बिलाल जाति मुसलमान निवासी नेहरों का तला (मांजी का तला) तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर</p>
---	--------------------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 318/2018

दिनांक : 06/07/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू. अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा संख्या 322 रकबा 30.00 बीघा किस्म बा0सो0 स्थित के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हों तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(Signature)

(अव्हाद निवृति सोमनाथ)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
o/l

दिनांक

क्रमांक / भू.अ. / 2023 /

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा ।
2. प्रार्थी टीकमाराम पुत्र गिरधारीराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण मलार पुत्र रेशमा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ

(Signature)

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा
o/c

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी 1 टीकमाराम पुत्र गिरधारीराम जाति भेघवाल, निवासी नेहरों का तला (मांजी का तला) तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर	बनाम	विप्रार्थीगण 1 मलार पुत्र रेशमा 2. सुखाराम पुत्र भाणजी जाति भील 3. इन्द्रादेवी पत्नि भाखराराम जाति विश्नोई 4. जमाल पुत्र हाजी बिलाल जाति मुसलमान निवासी नेहरों का तला (मांजी का तला) तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर
---	------	--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 318/2018

दिनांक : 06/07/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा संख्या 322 रकबा 30.00 बीघा किस्म बा0सो0 स्थित के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(अब्दाद निर्वृति सोमनाथ)

आई.ए.एस

उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

क्रमांक / भू.अ. / 2023 /

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा ।
2. प्रार्थी टीकमाराम पुत्र गिरधारीराम वगैरा ।
3. विप्रार्थीगण मलार पुत्र रेशमा वगैरा ।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा / चौहटन / बाखासर / बीजराड़ / धोरीमन्ना / धनाऊ

दिनांक



उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी 1 टीकमाराम पुत्र गिरधारीराम जाति मेघवाल, निवासी नेहरों का तला (मांजी का तला) तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर	बनाम	विप्रार्थीगण 1 मलार पुत्र रेशमा 2. सुखाराम पुत्र भाणजी जाति भील 3. इन्द्रादेवी पत्नि भाखराराम जाति विशनोई 4. जमाल पुत्र हाजी विलाल जाति मुसलमान निवासी नेहरों का तला (मांजी का तला) तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर
--	-------------	--


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
 राजस्व आवेदन संख्या 318/2018

दिनांक : 06/07/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू. अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा संख्या 322 रकबा 30.00 बीघा किस्म बा0सो0 स्थित के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



 (अव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
 आई.ए.एस
 उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

दिनांक

क्रमांक / भू.अ. / 2023 /

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा ।
2. प्रार्थी टीकमाराम पुत्र गिरधारीराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण मलार पुत्र रेशमा वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ



उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

<p>प्रार्थी 1 टीकमाराम पुत्र गिरधारीराम जाति भेघवाल, निवासी नेहरों का तला (मांजी का तला) तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर</p>	<p>बनाग</p>	<p>विप्रार्थीगण 1 मलार पुत्र रेशमा 2. सुखाराम पुत्र भाणजी जाति भील 3. इन्द्रादेवी पत्नि भाखराराम जाति विशनोई 4. जमाल पुत्र हाजी बिलाल जाति मुसलमान निवासी नेहरों का तला (मांजी का तला) तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर</p>
---	--------------------	---


प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत।
राजस्व आवेदन संख्या 318/2018

दिनांक : 06/07/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र सेड़वा भू. अ.नि. क्षेत्र सेड़वा के मौजा नेहरों का तला के खेत खसरा संख्या 322 रकबा 30.00 बीघा किस्म बा0सो0 स्थित के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।



 (अब्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
 आई.ए.एस.
 उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा ।
2. प्रार्थी टीकमाराम पुत्र गिरधारीराम वगैरा ।
3. विप्रार्थीगण मलार पुत्र रेशमा वगैरा ।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाऊ

दिनांक


 उपखण्ड अधिकारी सेड़वा